

**यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन**  
**वित्तीय सहायता नीति का सरल भाषा में सार ("प्लेन लैंग्वेज समरी - PLS")**

यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन की वित्तीय सहायता नीति (फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी - "FAP") पात्र रोगियों को, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन ("UMCP") के द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से रियायती आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य हेल्थकेयर सेवाएँ प्रदान करने के लिए विद्यमान है। वित्तीय सहायता चाहने वाले रोगियों को कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहिये, जिसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है।

पात्र सेवाएँ - UMCP के द्वारा प्रदान की जाने वाली और बिल की जाने वाली आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य हेल्थकेयर सेवाएँ। FAP केवल UMCP के द्वारा बिल की जाने वाली सेवाओं के लिए ही लागू होता है। दूसरे प्रदाताओं के द्वारा अलग से बिल की जाने वाली सेवाएँ FAP के अंतर्गत कवर नहीं हो सकती हैं।

पात्र रोगी - पात्र सेवाएँ प्राप्त कर रहे ऐसे रोगी जो पूरा भरा हुआ वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र ("आवेदन") (सम्बन्धित दस्तावेज/जानकारी सहित) प्रस्तुत करते हैं और जो UMCP के द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र निर्धारित किये गये हों।

आवेदन कैसे करें - FAP और आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्राप्त किये/भरे/प्रस्तुत किये जा सकते हैं:

- ऐट्रियम के नजदीक सेंटर्स ऑफ केयर के भीतर स्थित UMCP के रोगी सुलभता सेवाएँ पर।
- अनुरोध करें कि दस्तावेज आपको डाक से भेज दिये जायें, या आप UMCP के वित्तीय सलाहकार को 609-853-7852 पर फोन करके वित्तीय सलाहकार से मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं।
- अनुरोध करें कि दस्तावेज आपको डाक द्वारा भेज दिये जायें, व्यक्तिगत रूप से मिलना या मिलने का समय निर्धारित करना: UMCP के वित्तीय सलाहकार One Plainsboro Road पर स्थित हैं; व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, प्रथम तल पर, ऐट्रियम सेंटर्स ऑफ केयर में स्थित रोगी सुलभता सेवाएँ पर आयें।
- UMCP की वेबसाइट: <https://www.princetonhcs.org> से दस्तावेज डाउनलोड करें।
- पूरे भरे हुए आवेदन-पत्रों (UMCP की आवश्यकता सूची में बताये गये दस्तावेजों/जानकारी सहित) को निम्नलिखित पते पर भेजें: University Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, One Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536; या व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सलाहकार को सौंपें।

वित्तीय सहायता की पात्रता का निर्धारण - आमतौर पर, सभी अभीमित व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त बीमा रखने वाले व्यक्ति, स्लाइडिंग स्केल का उपयोग करके पात्र हो सकते हैं, जब उनके परिवार की सकल आय संघीय सरकार के गरीबी सम्बन्धी संघीय मार्गनिर्देशों ("FPG") के 300% के बराबर या उससे कम हो। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता का मतलब है कि पात्र व्यक्तियों की देखभाल पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कवर होगी और उन्हें बीमित व्यक्तियों को "सामान्य तौर पर बिल की जाने वाली राशियों" (अमाउंट्स जनरली बिल्ड - "AGB") से अधिक बिल नहीं किया जायेगा (AGB, जैसा आंतरिक राजस्व सेवा के द्वारा IRC के खंड 501(r) में परिभाषित किया गया है)। पूरी तरह से परिवार की सकल आय और FPG पर आधारित वित्तीय सहायता के स्तर हैं:

- परिवार की सकल आय FPG के 0 से 200% तक के स्तर पर पूरी वित्तीय सहायता; रोगी को बिल किये जाने योग्य राशि \$0 है।
- परिवार की सकल आय FPG के 201% से 300% तक के स्तर पर आंशिक वित्तीय सहायता; रोगी को बिल किये जाने योग्य अधिकतम राशि AGB के बराबर है।

नोट: FPG से परे अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है (जैसे कि, नकदी या नकदी में परिवर्तित की जा सकने वाली अन्य सम्पत्तियां, और मासिक घरेलू खर्चों की तुलना में अतिरिक्त मासिक शुद्ध आय), जिनकी वजह से पूर्ववर्ती स्थितियों के अपवाद हो सकते हैं। अगर परिवार की कोई सकल आय रिपोर्ट नहीं की गयी है, तो इस बाबत जानकारी मांगी जायेगी कि दैनिक ज़रूरतें किस तरह से पूरी की जाती हैं। UMCP के वित्तीय सलाहकार ऐसे प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की समीक्षा करते हैं जो पूर्ण हैं, और UMCP के FAP के अनुसार वित्तीय सहायता की पात्रता का निर्धारण करते हैं। अधूरे आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन आवेदकों को सूचित किया जाता है और उन्हें आवश्यक अप्राप्त दस्तावेजों/जानकारी को प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है।

UMCP अपने FAP, आवेदन-पत्र और PLS को दूसरी भाषाओं में अनुवादित करता है जिसमें UMCP के प्राथमिक सेवा क्षेत्र की प्राथमिक भाषा 5% या 1,000 व्यक्तियों; दोनों में से जो भी कम हो, का प्रतिनिधित्व करती है। अनुवाद सेवायें रोगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध हैं।

मदद, सहायता या प्रश्नों के लिए, कृपया मुलाकात करें या फोन करें: One Plainsboro Road पर स्थित UMCP के वित्तीय सलाहकार; व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, प्रथम तल पर, ऐट्रियम के नज़दीक स्थित रोगी सुलभता सेवायें पर आयें या 609-853-7852 पर फोन करें, सोमवार से शुक्रवार तक, सुबह 7:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक।